बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 27 दिसम्बर, 2014 ई० ।

संख्या-वि०स०(का०)-15/2014- 1961 / वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पंचदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्रीमती पुनम देवी, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-181 (दीघा), श्री अजीत कुमार, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-95 (काँटी), श्री राजू कुमार सिंह, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-98 (साहेबगंज) एवं श्री सुरेश चंचल, स०वि०स०, क्षेत्र संख्या-92 (सकरा, अ०जा०) दिनांक 27.12.2014 के प्रभाव से भारत का संविधान के अनुच्छेद 191(2) के साथ पठित 10वीं अनुसूची के पारा 2(1) (क) एवं बिहार विधान सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986 के अधीन निरर्हित हो गये हैं, फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (क) के तहत बिहार विधान सभा में उनका स्थान रिक्त हो गया है । पंचदश बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य के रूप में इन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी ।

तद्नुसार पंचदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

ह० 27.12.14

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०(का०)-15/2014- 1962 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रतिलिपि:- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक पथ, नई दिल्ली-110001 / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, मैंगल्स रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 27.12.14

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०(का०)-15/2014- 1962 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रतिलिपि:- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह० 27.12.14

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०(का०)-15/2014- 1962 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 27.12.14

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०(का०)-15/2014- 1962 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रतिलिपिः- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / महासचिव, राज्य सभा / लोक सभा, नई दिल्ली / सचिव, सभी राज्य विधान सभा / विधान परिषद् / विद्वान महाधिवक्ता, बिहार / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना / सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना / सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना / राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी / सभी उप सचिवगण एवं अवर सचिवगण, बिहार विधान सभा, पटना, पुस्तकालय शाखा / दूरभाष शाखा / लेखा शाखा / जनसम्पर्क शाखा / आवास शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा एवं कार्मिक शाखा (दस प्रतियों में), बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.12.14

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

30

ज्ञापांक-वि०स०(का०)-15/2014- 1962 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित ।

27.12.14

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स०(का०)-15/2014- 1962 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 दिसम्बर, 2014 ई० ।

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 20 (बीस) प्रतियां सभा सचिवालय को भी उपलब्ध करायी जाय ।

27.12.14

(हरेराम मुखिया)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

माननीय स0 वि0 स0

1. श्रीमती पूनम देवी
2. श्री राजू कुमार सिंह
3. श्री अजीत कुमार
4. श्री सुरेश चंचल

उपरोक्त चारों मा0 सदस्य, बिहार विधान सभा के विरूद्ध उनके ही दल जद (यू0) के बिहार विधान सभा में मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार, मा0 स0वि0स0 ने अलग-अलग चार आवेदन समर्पित किया है । श्री श्रवण कुमार के आवेदन में यह कहा है कि चारों मा0 सदस्य गत 2010, बिहार विधान सभा चुनाव में जद (यू) के उम्मीदवार के रूप में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। परन्तु उनके कतिपय कृत्य, आचरण एवं व्यवहार से यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल, जद(यू) की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दिया है । इस आधार पर चारों मा0 सदस्य, बिहार विधान सभा को भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सदन की सदस्यता से निर्हरित घोषित किये जाने का अनुरोध किया है । आवेदन में निर्हरित घोषित किये जाने का आधार यह बतलाया गया है कि बिहार विधान सभा से राज्यसभा के लिए तीन मध्यावधि रिक्तियां हुई, जिनको भरने हेतु भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी की । जद (यू) ने तीन रिक्तियों के विरूद्ध क्रमशः श्री शरद यादव, श्री गुलाम रसूल एवं श्री पवन कुमार वर्मा को अधिकृत उम्मीदवार बनाया। श्री शरद यादव के विरूद्ध किसी और प्रत्याशी

ने नामांकन पर्चा नहीं भरा एवं वे निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। इसके विपरीत श्री गुलाम रसूल एवं श्री पवन कुमार वर्मा के विरूद्ध उपरोक्त चारो मा0 सदस्य एवं कुछ अन्य सदस्यगण मिलकर दो उम्मीदवार क्रमशः श्री साबिर अली एवं श्री अनिल कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया। यह आरोप है कि चारों मा0 सदस्यगण उपरोक्त दोनों में किसी न किसी के प्रस्तावक बने एवं उनके नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा भरने के समय उपस्थित रहे एवं उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रियतापूर्वक कार्य किया । इस आधार पर आवेदन में यह कहा गया कि अपने मूल राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध उम्मीदवार खड़ा करना, उनका प्रस्तावक बनना एवं सक्रियतापूर्वक उनके पक्ष में कार्य करना, यह ऐसे कृत्य हैं जिनसे यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि चारो माननीय सदस्यों ने अपने दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दिया है एवं इस आधार पर वह संविधान की 10 वीं अनुसूची के पारा 2 (1) (क) के अंतर्गत बिहार विधान सभा की सदस्यता से निर्हरित हो गए हैं । अतएव उन्हें निर्हरित घोषित किया जाय ।

चारों माननीय सदस्यों के विरूद्ध आरोप एक समान है । उपरोक्त आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त मेरे निर्देश के अनुसरण में सभा सचिवालय के द्वारा माननीय सदस्यों को कारणपृच्छा नोटिश निर्गत किया गया है । नोटिश प्राप्ति के उपरान्त माननीय सदस्यों ने अपना बचाव विद्वान

अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जिसे स्वीकृत किया गया । श्री श्रवण कुमार ने अपना पक्ष रखने हेतु परामर्शी को अनुमति देने का अनुरोध किया जिसे भी स्वीकृत किया गया ।

सर्वप्रथम चारों माननीय सदस्यों के विद्वान अधिवक्ता ने एक लिखित आवेदन समर्पित कर इस आशय का Preliminary objection किया कि वाद के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई से पूर्व आवेदनों की पोषणीयता पर विचार किया जाय । उनके उक्त आवेदन में आधार यह है कि बिहार विधान सभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर निर्हरता) नियमावली 1986 में प्रावधानित उपबन्धों का पालन नहीं किया गया है । संक्षेप में कथन यह है कि सी0पी0सी0 के विहित प्रावधानों के अनुसार न तो आवेदनों का verification किया गया है और न ही शपथ पर आवेदन समर्पित किए गए हैं ।

श्री श्रवण कुमार के विद्वान परामर्शी श्री पी0 के0 शाही ने यह दलील दिया है कि Preliminary objection एवं गुण-दोष के आधार पर एक साथ सुनवाई कर समेकित आदेश के द्वारा ही वादों का निष्पादन किया जाना चाहिए । मैंने उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त यह आदेश पारित किया कि Preliminary objection एवं गुण-दोष के आधार पर एक साथ सुनवाई किया जाएगा और समेकित आदेश के द्वारा ही वाद का निष्पादन होगा । विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम ने यह अनुरोध किया कि

चूँकि चारों आवेदन समान प्रकृति के हैं एवं आरोप भी प्रायः एक समान हैं अतएव चारों वादों को संयुक्त रूप से सुना जाय एवं एक ही आदेश के द्वारा निष्पादन किया जाय । श्री पी0के0शाही ने भी अपनी सहमति दी । उभय पक्षों की सहमति के आलोक में चारों आवेदन की सुनवाई संयुक्त रूप से किया गया है एवं common order के द्वारा निष्पादित भी किया जा रहा है ।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री श्रवण कुमार को दल के सदस्यों को निर्हरित घोषित किए जाने की कारवाई हेतु बिहार विधान मंडल में सत्तारूढ़ दल के नेता श्री जीतन राम मांझी ने लिखित रूप से अधिकृत किया है जिसकी सूचना मुझे प्राप्त है । उक्त तथ्य का उल्लेख श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन में भी किया गया है ।

श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन के उत्तर में, जैसा कि मैंने उपर कहा है कि सर्वप्रथम माननीय सदस्यों ने Preliminary objection समर्पित किया परंतु मेरे निदेश के आलोक में उन्होंने आरोपों का बिन्दुवार खण्डन करते हुए विस्तृत पृच्छा भी समर्पित किया है । अपने विस्तृत कारण पृच्छा में माननीय सदस्यों का मूलतः निम्न अभिकथन है :

(i) श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन गंभीर प्रकियात्मक त्रृटियों के कारण पोषणीय नहीं है ।

(ii) श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत maintanable नहीं है ।

(iii) किसी भी दल के सदस्य को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है और श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन माननीय सदस्यों को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा ।

(iv) विधान सभा क्षेत्र से राज्य सभा उम्मीदवार के निर्वाचन में सदस्यों को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने का अधिकार है एवं उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है । अतएव इस आधार पर उन्हें विधान सभा की सदस्यता से निर्हरित नहीं किया जा सकता है ।

(v) उनके द्वारा उम्मीदवार का प्रस्तावक बनना एवं सक्रियता पूर्वक निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में कार्य करना, यह सभी कृत्य चुनाव की कड़ी में सम्मिलित हैं एवं इस आधार पर उन्हें निर्हरित करने का कोई मामला नहीं बनता है ।

(vi) श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन पूर्वाग्रह से ग्रसित है। श्री श्रवण कुमार ने निर्हरता की कारवाई selective आधार पर किया है जिसे discriminatory माना जाना चाहिए क्योंकि माननीय सदस्यों के समान दल के अन्य सदस्यों ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में सक्रियतापूर्वक कार्य किया है परन्तु उनके विरूद्ध कारवाई नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त

माननीय सदस्यों ने विशेष तौर पर श्रीमती रेणु कुमारी एवं श्रीमती अनु शुक्ला का दृष्टांत उद्धृत किया है और यह कहा है कि उनके मामले में यद्यपि श्री श्रवण कुमार ने आवेदन समर्पित किया है परन्तु उनके विरूद्ध कारवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया ।

(vii) माननीय सदस्यगण, जद (यू0) के सदस्य थे, हैं और बने रहेंगे एवं राज्य सभा चुनाव के तुरंत बाद विधान मंडल के पूरे सत्र में उन्होंने न तो ऐसा कोई कार्य किया, न ऐसे आचरण का प्रदर्शन किया जिससे उन्हें दल विरोधी माना जाय । वह लगातार सदन में अपने दल के पक्ष में खड़े रहे ।

विद्वान अधिवक्ता एस0 बी0 के0 मंगलम ने सुनवाई से पूर्व यह अनुरोध किया कि उपरोक्त वादों में सर्वप्रथम issue frame किया जाना चाहिए और उसके उपरान्त ही अग्रतर सुनवाई होनी चाहिए । श्री शाही ने यह कहा कि अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में जो वाद निर्णयार्थ लाया जाता है उसमें सी0पी0सी0 अथवा साक्ष्य अधिनियम अथवा अन्य प्रक्रियात्मक अधिनियमों का अक्षरशः अनुपालन की बाध्यता नहीं है क्योंकि अध्यक्ष सक्षम दीवानी न्यायालय की प्रक्रियाओं से बंधे हुए नहीं हैं । अध्यक्ष को मात्र यह सुनिश्चित करना है कि सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाय, नैसर्गिक न्याय का अनुपालन हो एवं पक्षकारों की सभी दलीलों को सुनने के उपरान्त निर्णय

किया जाय । मैं श्री शाही के दलील से पूर्णतया सहमत हूँ कि संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष, विधान सभा के समक्ष लाए गए वाद में मात्र यह सुनिश्चित करना है कि सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाय । उन्हें अपनी बात लिखित एवं मौखिक रूप से कहने का अवसर दिया जाय । अगर वह अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह अवसर दिया जाय अर्थात natural justice का पालन किया जाना चाहिए । उपरोक्त के आलोक में सक्षम दीवानी न्यायालय में दीवानी वादों की भांति issue frame करने का कोई सार्थक औचित्य नहीं प्रतीत होता है । संक्षेप में यह कहना उपयुक्त होगा की issue मात्र इतना है कि क्या माननीय सदस्यों के विरूद्ध लाए गए आरोप उन्हें अपने दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग का प्रमाण है एवं उस आधार पर उन्हें सभा की सदस्यता से निर्हरित किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ?

इस मामले की सुनवाई हेतु 12.07.2014 से 18.12.2014 के बीच कुल 21 तिथियों पर सुनवाई निर्धारित किया गया । माननीय सदस्यगण अपना पक्ष रखने के बजाय किसी-न-किसी आधार पर समय की याचना करते रहे जिसे विभिन्न तिथियों पर स्वीकृत किया गया । आवेदन के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो इसलिए 08.12.2014 से मामले की लगातार सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी । इसके साथ-ही-साथ चारों माननीय सदस्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परामर्शी को

अपना लिखित वक्तव्य देने का भी अवसर दिया गया । श्री एस बी के मंगलम ने अपना लिखित अभिकथन भी समर्पित किया है । परामर्शी ने यह कहा कि उन्होंने अपनी जो दलीलें प्रस्तुत की हैं उसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं कहना है ।

चारों माननीय सदस्यों के विद्वान अधिवक्ता ने श्री श्रवण कुमार, मुख्य सचेतक से गवाही का अनुरोध किया । श्री शाही ने उनके अनुरोध का प्रतिवाद किया और यह कहा कि इस मामले में चारों माननीय सदस्यों के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को उन्होंने अपने लिखित अभिकथनों में पूर्णतया स्वीकार किया है और इसलिए उन आरोंपों को सिद्ध करने हेतु किसी गवाह की आवश्यकता ही नहीं है और इस प्रकार का प्रयास अनावश्यक विलंब के लिए ही किया जा रहा है ।

मैंने श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं उसके उत्तर में चारो माननीय सदस्यों द्वारा समर्पित विस्तृत कारणपृच्छा का परिसीलन किया है । यह स्पष्ट है कि चारों माननीय सदस्यों के विरूद्ध एक ही आरोप है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध दो निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा किया, उसके प्रस्तावक बने एवं दल के अधिकृत उम्मीदवार को हराने तथा अपने उम्मीदवार को जीताने में सक्रिय भूमिका निभाई । इसके उत्तर में चारो माननीय सदस्यों ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध

दो निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रस्तावक थे । यह अलग बात है कि उन्होंने इस प्रकार के कृत्य को संविधान के अनुरूप एवं विधि सम्मत बतलाया है । उन्होंने अपने बचाव अभिकथन में यह कहा है कि इस प्रकार के कृत्य के आधार पर पैरा 2 (1) (क) के अंतर्गत निर्हरित किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है । अतएव यह स्पष्ट है कि श्री श्रवण कुमार के आवेदन में जो तथ्य उधृत है उसे माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के मौखिक गवाही की न तो कोई प्रासंगिकता है और न ही आवश्यकता है ।

उभय पक्षों ने अपने-अपने दावे के समर्थन में अपनी दलीलों के अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों द्वारा न्याय निर्णयों का भी हवाला दिया है जिसकी चर्चा मेरे आदेश के बाद में किया जाएगा ।

सर्वप्रथम मैं श्री मंगलम द्वारा उठाए गए Preliminary objection का निष्पादन करना चाहूँगा । उन्होंने मुख्यत: यह कहा कि श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन सी0पी0सी0 के अनुरूप नहीं है एवं शपथ पर समर्पित नहीं हैं । अपने दलील के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित Baru Ram, A.1959 SC 893, Cherkuri Mani (2014) 3 PLJR 280 का हवाला दिया है । मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया है जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि अगर कोई कार्य किसी निर्धारित प्रकिया के अंतर्गत किया जाना है तो वह उस

प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए अन्यथा उसकी मान्यता नहीं दी जा सकती ।

इसके विपरीत श्री शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित दो वाद रवि एस0 नायक एवं डॉ0 महाचन्द प्रसाद सिंह (2004) 8Sec 747 एवं Ravi.S. Nayak (1994) Supp (2) Sec 641का हवाला देते हुए यह कहा है कि उक्त दोनों निर्णायों में माननीय न्यायालय ने संविधान की 10वीं अनुसूची की ही व्याख्या की है । जबकि श्री मंगलम द्वारा समर्पित निर्णय अन्य मामलों से संबंध रखता है । श्री शाही द्वारा प्रस्तुत दोनों निर्णयों में जो व्याख्या है उसमें यह स्पष्ट है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में समर्पित आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जा सकते कि उसमें सी0पी0सी0 की प्रकियाओं का पालन नहीं हुआ अथवा वह शपथ पर समर्पित नहीं हुआ ।

उक्त के आलोक में श्री मंगलम द्वारा Preliminary objection में कोई तथ्य नहीं है । अतएव उसे अस्वीकृत किया जाता है एवं मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदन का गुण-दोष के आधार पर निष्पादन किया जाना न्यायोचित होगा ।

परामर्शी श्री शाही ने श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन में उल्लिखित प्रतिवेदनों के संबध में यह दलील दिया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) में यह प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य

अपने दल का स्वेच्छया परित्याग करता हो तब ऐसी स्थिति में वह सभा की सदस्यता से निर्हरित होगा । श्री शाही ने यह कहा है कि सदस्यता से परित्याग का अभिप्राय लिखित रूप से त्याग-पत्र समर्पित करना ही नहीं है । ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं जिसमें सदस्य के कृत्य, आचरण एवं व्यवहार से यह स्पष्ट हो कि उन्हें दल की नीतियों में आस्था एवं विश्वास नहीं है, इस कारण दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग माना जाएगा । पैरा 2 (1) (क) में यह आवश्यक नहीं है कि दल की सदस्यता का परित्याग करने हेतु सदस्य उसकी लिखित या मौखित घोषणा करे । अगर ऐसा होता तो उक्त प्रावधान में resignation की बात होती । इसके विपरीत voluntarily giving up की बात कही गई है । voluntarily giving up membership को संकुचित दायरे में नहीं देखा जा सकता । इस शब्द के व्यापक आयाम हैं जिसका कदापि यह अर्थ नहीं हो सकता कि किसी सदस्य ने अगर लिखित अथवा मौखिक रूप से ही दल की सदस्यता का त्याग किया हो तभी वह परित्याग की परिधि में आएगा । इसके विपरीत अगर सदस्य का कर्त्तव्य एवं आचरण ऐसा है कि दल की सदस्यता के परित्याग का भान होता हो तो यह माना जाएगा कि सदस्य ने स्वेच्छया दल का परित्याग कर दिया है । श्री शाही की यह भी दलील है कि उपरोक्त चारों सदस्य गत विधान सभा चुनाव में जद (यू0) के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में दल के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित घोषित हुए। उन्होंने दल के अधिकृत प्रत्याशी के

विरूद्ध न सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा किया वरन उनके प्रस्तावक बने, एवं सक्रियता से दल के सदस्य के विरूद्ध कार्य किया । श्री शाही ने यह भी दलीन दिया है कि श्री श्रवण कुमार द्वारा समर्पित आवेदन का राज्य सभा चुनाव में किसी सदस्य द्वारा वोट देने से कोई संबंध नहीं है । श्री शाही ने यह भी कहा कि राज्य सभा चुनाव में किसी भी दल का सदस्य के लिए बाध्यता मात्र इतना ही है कि वह दल के अधिकृत पदाधिकारी को मत देने के पहले अपना मत दिखाएँ अन्यथा उसका मत invalid होगा परन्तु वह अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने के लिए स्वतंत्र है । यह पूछे जाने पर कि जब वोट देने के लिए सदस्य स्वतंत्र है तो फिर वोट से संबंधित अन्य कार्यों के लिए वह स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकता, श्री शाही ने यह दलील दिया कि किसी दल के अधिकृत उम्मीदवार के विपक्ष में उम्मीदवार खड़ा करना, उसका प्रस्तावक बनना, ऐसे कृत्य का संबंध वोट से कदापि नहीं है । वोट देना एक अलग मामला है और श्री श्रवण कुमार ने अपने आवेदन में यह आरोप लगाया ही नहीं है कि माननीय सदस्यों ने दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध वोट दिया। आरोप यह है कि उन्होंने दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध अपना उम्मीदवार खड़ा किया । अगर वह निदर्लीय उम्मीदवार इनकी सहायता के बिना या इनकी सक्रियकृत्त के बिना उम्मीदवार बनता एवं

वह उसके पक्ष में वोट देते तो वह एक अलग बात होती परन्तु ऐसा नहीं हुआ । इन सदस्यों ने तो दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा किया, प्रस्तावक बने, उनके नामांकन पर्चा समर्पित करने में सक्रिय भूमिका निभाई । इस प्रकार के कृत्य का संबंध वोट देने से कदापि नहीं हो सकता ।

श्री शाही ने अपने दलीलों के समर्थन में निम्न न्याय निर्णयों का हवाला दिया है : Dr. Mahachandra Pd. Singh (2004) 8 Sec, Ravi S. Nayak (1994) Supp 2 Sec 641 G. Vishwanathan (1996) 2 Sec 353, Varghese 2009 (3) KLTI,

Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya (2007) 4 SCC 270, एवं Jagjit Singh v. State of Haryana (2006) 11 SCC 1.

श्री शाही ने उपरोक्त न्याय निर्णयों के निम्न अंश की तरफ भी मेरा ध्यान आकृष्ट किया है :

1. Ravi S. Naik v. Union of India, 1994 Supp (2) SCC 641, at page 649 Para 11.

The words "voluntarily given up his membership" are not synonymous with "resignation" and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political

party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from membership an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs.

2. Jagjit Singh v.State of Haryana (2006)11SCC1, at page 19: Para 29

"It is also essential to bear in mind the objects for enacting the defection law also. namely, to curb the menace of defection. Despite defection a Member cannot be permitted to get away with it without facing the consequences of such defection only because of mere technicalities."

3. Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya (2007) 4 SCC 270, at page 303: para 48

"The act of giving a letter requesting the Governor to call upon the leader of the other side to form a Government, itself would amount to an act of voluntarily giving up the membership of the party on whose ticket the said members had got elected."

विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलम ने अपनी दलील के समर्थन में निम्न न्याय निर्णयों का उद्धरण प्रस्तुत किया है ।

1. श्री कुलदीप नैयर
2. श्री पशुपति नाथ शुक्ला
3. श्री मोहिन्दर सिंह गिल
4. श्री बालचन्द्र

दोनों पक्षों द्वारा समर्पित आवेदन, उत्तर, प्रतिउत्तर एवं दलीलों का सार यह है कि चारो माननीय सदस्य जद (यू0) के सदस्य के रूप में बिहार विधान सभा के लिए विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हैं । बिहार विधान सभा से राज्य सभा की तीन मध्यावधि रिक्तियों को भरने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना निर्गत किया । जद (यू0) ने तीन अधिकृत उम्मीदवार श्री शरद यादव, श्री गुलाम रसूल एवं श्री पवन कुमार वर्मा को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया । श्री शरद यादव के विरूद्ध अन्य कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ एवं वह निर्विरोध निर्वाचित हुए । दो अन्य प्रत्याशी श्री गुलाम रसूल एवं श्री पवन कुमार वर्मा के विरूद्ध दो निर्दलीय प्रत्याशी श्री साबिर अली एवं श्री अनिल कुमार शर्मा उम्मीदवार बने । उन्हें उम्मीदवार बनाने में उपरोक्त चारो सदस्य एवं कतिपय अन्य सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई । चारो माननीय सदस्य दोनों निर्दलीय

उम्मीदवारों में किसी-न-किसी के प्रस्तावक बने एवं प्रस्तावना के वक्त निर्वाची पदाधिकारी के सम्मुख उपस्थित रहे एवं अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाई । इस खण्ड में वर्णित तथ्य निर्विवाद है । विनिश्चय का बिन्दु यह है कि क्या इस प्रकार के कृत्य, आचरण एवं व्यवहार संविधान की 10वीं अनुसूची के पारा 2 (1) (क) के अंतर्गत विधान सभा की सदस्यता से निर्हरित किए जाने का समुचित आधार है अथवा नहीं । इसके अतिरिक्त इस विवाद में अन्य कोई बिन्दू सन्निहित नहीं है ।

परामर्शी श्री शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के न्याय निर्णयों के आधार पर यह दलील दी है कि पैरा 2 (1) (क) की संकुचित व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए । किसी राजनीतिक दल के सदस्य के परित्याग का आधार लिखित इस्तीफा ही हो ऐसा कदापि नहीं है । दल की सदस्यता का परित्याग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है । वह लिखित हो सकता है, किसी सार्वजनिक स्थान से उद्घोषणा के रूप में हो सकता है अथवा आचरण व व्यवहार से भी किया जा सकता है । उनका यह कहना है कि अपने मूल राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध उम्मीदवार खड़ा करना एवं उसका प्रस्तावक बनना यह ऐसा कृत्य है जिससे दल की सदस्यता का सवेच्छया परित्याग पूर्णतया सिद्ध होता है । श्री शाही ने यह कहा है कि कुलदीप नैयर एवं

पशुपति नाथ शुक्ला का उद्धरण माननीय सदस्य की कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि आरोप यह नहीं है कि उन्होंने अपनी इच्छानुसार अपने मत का प्रयोग किया अपितु आरोप यह है कि उन्होंने अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया । यह कृत्य ऐसा है जिससे कि दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग के अतिरिक्त कोई अन्य Inference न्यायोचित नहीं होगा । श्री शाही ने मेरा ध्यान पैरा 2 (1) (क) की शब्दावली की तरफ आकृष्ट किया है एवं यह कहा है कि संविधान में Voluntarily giving up शब्द का प्रयोग किया गया है न कि Resignation का । इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर किसी दल के सदस्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसे दल विरोधी गतिविधि माना जाय तब ऐसी स्थिति में एक मात्र Inference यह होगा कि उस व्यक्ति ने अपने दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दिया है ।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलम ने यह कहा है कि मोहिन्दर सिंह गिल केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना से लेकर मतों की गिनती एवं निर्वाचन की घोषणा सब एकीकृत चुनाव की प्रकिया का अंग है इस आधार पर श्री मंगलम ने यह कहा है कि कुलदीप नैयर एवं पशुपति नाथ शुक्ला के मामले पूरी तरह लागू होता है क्योंकि उनके मुवक्किल को अपने इच्छानुसार वोट देने का अधिकार प्राप्त है । श्री मंगलम ने इसके

अतिरिक्त यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेछ 14 का अवहेलना किया जा रहा है क्योंकि उनके सदृश्य कृत्य करने वाले अन्य सदस्यों के विरूद्ध इस प्रकार की कारवाई नहीं की गयी है । उन्होंने यह भी कहा है कि उनके मुवक्किल को वोट देने का संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त है एवं इस आधार पर वह निर्हरित नहीं किए जा सकते । उन्होंने अन्य सदस्यों की चर्चा की है जिनके विरूद्ध निर्हरता की कारवाई नहीं की गयी है अथवा लंबित है । श्री मंगलम ने लंबी दलील के अतिरिक्त लिखित Argument भी प्रस्तुत किया है । उनके मौखिक एवं लिखित Argument में सभी बातें एक समान हैं और सारांश यह है कि श्री साबिर अली एवं श्री अनिल कुमार शर्मा जद (यू0) के ही सदस्य थे एवं इसके विपरीत श्री गुलाम रसूल व श्री पवन कुमार वर्मा के जद (यू0) के पार्लियामेंन्ट्री बोर्ड ने दल का टिकट नहीं दिया था । उनके समान अन्य सदस्य भी प्रस्तावक बने थे जिनके विरूद्ध कारवाई नहीं की गयी है । उन्हें अपनी इच्छानुसार मत देने का संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त है । उनके विरूद्ध दल की सदस्यता से निर्हरित किये जाने का कोई आधार नहीं बनता है । उनके विरूद्ध यह कारवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित है । संविधान की 10वीं अनुसूची का यह मामला ही नहीं है ।

सभी तथ्यों की सूक्ष्म विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह निर्विवाद है कि चारों माननीय सदस्य जद (यू0) के सदस्य थे एवं अपने दल के टिकट पर बिहार विधान सभा के लिए

निर्वाचित हुए हैं । जद (यू0) ने श्री गुलाम रसूल एवं श्री पवन कुमार वर्मा को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था जिनके पक्ष में जद (यू0) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विहित प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव चिन्ह् आवंटन करने हेतु लिखित अनुरोध किया था जिस आधार पर निर्वाची पदाधिकारी ने उन्हें जद (यू0) का अधिकृत उम्मीदवार माना था । इसके विपरीत श्री साबिर अली एवं श्री अनिल कुमार शर्मा के पक्ष में जद (यू0) ने दल के अधिकृत उम्मीदवार का कोई अनुरोध नहीं किया एवं वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े । चारों माननीय सदस्य श्री साबिर अली अथवा श्री अनिल शर्मा के प्रस्तावक बने एवं उनके प्रस्तावना के समय निर्वाची पदाधिकारी के सम्मुख उनके समर्थन में उपस्थित भी थे । इस प्रकार उन्होंने अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध उम्मीदवार खड़ा करने की भूमिका निभाई । उनका यह कहना कि जद (यू0) के अन्दर Parlimentry Board गठित नहीं है या अधिकृत उम्मीदवार तय करने में जद (यू0) के संविधान की अनदेखी की गयी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि जद (यू0) के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चुनाव आयोग द्वारा विहित फार्म में अधिकृत करते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किए गए जिसे निर्वाची पदाधिकारी ने स्वीकार किया । इसके विपरीत माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शुमार किए गए । मैं परामर्शी की दलील से

पूर्णतया सहमत हूँ कि राज्य सभा चुनाव में वोट देना एक अलग विषय है एवं दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करना, अपने मत के अधिकार का प्रयोग से पूर्णतया भिन्न है । इस प्रकार के कृत्य से यह सिद्ध होता है कि चारो माननीय सदस्यों ने अपने दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग किया है । कुलदीप नैयर एवं पशुपति नाथ शुक्ला के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने वोट के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं न कि दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध खड़े करने के संबंध में किसी प्रकार की व्याख्या की है । मोहिन्दर सिंह गिल मामले में संविधान के अनुच्छदे 329 की व्याख्या के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिसूचना से लेकर निर्वाचित प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दिए जाने तक के चुनाव की प्रकिया का अंग माने जाने की जो व्याख्या किया है का इस मामले का कोई संबंध नहीं है । मोहिन्दर सिंह गिल केस में अनुच्छेद 329 की व्याख्या का आधार यह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरान्त चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है । यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव की प्रकिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा रहा हो । इसके विपरीत रवि एस0 नायक द्वारा डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह के केस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दल की सदस्यता का परित्याग लिखित ही हो यह आवश्यक नहीं है । परित्याग का Inference विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न कारणों से निकाला

जा सकता है । अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध उम्मीदवार खड़े करना ऐसा कृत्य है जिससे यही Inference प्रकट होता है कि माननीय सदस्यों को अपने दल के अनुशासन, नीतियॉं, उद्देश्यों में विश्वास व निष्ठा नहीं है एवं उनके इस प्रकार के आचरण तथा व्यवहार से उन्होंने दल की सदस्यता का स्वेच्छया परित्याग कर दिया है । विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलम की दलील स्वीकार योग्य नहीं है ।

श्री मंगलम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 का जो हवाला दिया गया है उसकी यहॉं कोई प्रासंगिकता ही नहीं है । विधान सभा के अध्यक्ष को वही मामले देखने का अधिकार है जो उनके समक्ष लिखित रूप में लाया जाय । अध्यक्ष को Suo Motu संज्ञान लेने का कोई अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य के विरूद्ध कारवाई किया गया अथवा नहीं, के आधार पर जो सदस्य अपने कृत्य, आचरण व व्यवहार से पैरा 2 (1) (क) के अंतर्गत निर्हरित हो गया है को निर्हरता से बचने की छूट नहीं दी जा सकती अन्यथा पैरा 2 (1) (क) का कोई अर्थ शेष नहीं रहेगा । यह मेरी समझ से परे है कि माननीय सदस्यों के विरूद्ध श्री कुमार का आवेदन किस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है । दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरूद्ध उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया और उन्होंने अपने ऐसे कृत्य से दल के पदाधिकारी को आवेदन देने का अवसर दिया । ऐसी स्थिति में यह कहना कि आवेदन पूर्वाग्रह से ग्रसित है कतई स्वीकार योगय नहीं है । उपरोक्त के

आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि चारो माननीय सदस्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के अंतर्गत बिहार विधान सभा की सदस्यता से निर्हरित हो गए हैं एवं एतद् द्वारा संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं यह उद्घोषणा करता हूँ कि चारों माननीय सदस्य बिहार विधान सभा की सदस्यता से निर्हरित हो गए हैं ।

अतएव मैं श्रीमती पूनम देवी, श्री राजू कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार एवं श्री सुरेश चंचल को बिहार विधान सभा की सदस्यता से निर्हरित घोषित करते हुए यह निर्देश देता हूँ कि सदस्यों की सूचि से चारों सदस्यों का नाम विलोपित करते हुए इस आशय की सूचना भारत के निर्वाचन आयोग को अविलंब प्रेषित किया जाय । इस आदेश के फलाफल के रूप में उपरोक्त चारों माननीय सदस्यगण् को पंचदश बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य के रूप में कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी ।

27/12/14

(उदय नारायण चौधरी)
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा, पटना ।